

~~Schedule~~ XXI-Form No. 87
(H)

2234152 S.N.....

**RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR
SEARCH & COPY**

Serial number of application.....

Date of application.....

Name of applicant.....

Fees Paid.....

Stamp Paper for.....

Date of deposit.....


Registering Officer

उपमध्य रेखा संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 5372

ईक श्री Ramesh Prasad Yadav & Others आवेदन सं. 5417120

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वाचित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही मैं और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिका में बा. 01/01/2007 तल्लाह अस्पेरी इंडेक्स में रेगुलर तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला।

चला है अतः

संपत्ति संख्या 6 पुनर्दे

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Monza - Sadikpur.							
	Therna - Airport							
	Thernano - 19							
	Khatano - 74							
	Kheshano - 102							
	Tourino - 5291							
	Arca - 8997.843 19m							

1. रस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की फर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्तों की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दिशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
यै यह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): राजेश्वर प्रसाद
(पदनाम): लिपिक

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): नरेश्वर प्रसाद
(पदनाम): लिपिक

कार्यालय: उ.प्र.
तारीख: Putna
02/12/2020



टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रमाणित संपत्ति विवरण के आधार पर हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी-किसी संपत्तियों को निबंधक के कार्यालय में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियाँ देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक, 4271

ज्ञाप संख्या 5442 दिनांक 02/12/2020
आवेदक श्री Rajendra Prasad Yadav & Others
का कृपया प्रमाण-पत्र द्वारा

का उनके पत्र संख्या..... दिनांक..... के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पराधिकारी